राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांकः एफ 9 (05)(12-II)सासुपे/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014-15/19282-314 जयपुर, दिनांकः 01.04.2020

समस्त जिला कलक्टर

विषयः– COVID-19 के दृष्टिगत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वयं की पेंशन राशि अपने खाते से प्राप्त करने में वर्तमान परिस्थितयों (COVID-19) में कोई कठिनाई ना हो, इस हेतु जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर निम्न कार्रवाई अपेक्षित है –

1. जिन बैंकों की शाखाओं अथवा ATMs से पेंशनर भुगतान प्राप्त करते हैं, वहाँ सामाजिक दूरी हेतु मार्किंग कराई जाए, तथा साथ ही सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ATM तथा शाखाओं में पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पेंशनरों द्वारा भुगतान BC (Business Correspondant) के माध्यम से कराया जाता है, वहाँ –
   (i) बैंकों के माध्यम से समस्त BCs के पास, वितरण हेतु आवश्यक धनराशि का प्रबंध कराया जाए।
   (ii) इन BCs को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित कराया जाए कि BC तथा पेंशन प्राप्तकर्त्ता ट्रांजेक्शन के उपरांत साबुन से हाथ धोयें अथवा सेनेटाइजर का प्रयोग करें।
   (iii) BC द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक समय पर उसके समक्ष भीड़ एकत्रित न हो, इस हेतु सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। यादि संभव हो तो BC द्वारा अपनी PoS/Mobile ATM के माध्यम से घर–घर जाकर पेंशन वितरण किया जाए।

3. उपर्युक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए District Lead Bank Officers तथा समस्त मुख्य बैंकों के जिला स्तरीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त किया जाए।

जैसा कि विदित है कि COVID-19 के कारण विषम परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा माह मार्च, 2020 एवं अप्रैल, 2020 में देय सामाजिक सुरक्षा पेंशन .Release की गई है। अतः यह आवश्यक है कि समस्त सावधानियां रखते हुए उक्त राशि का भुगतान लाभान्वितों तक बिना किसी विलंब एवं कष्ट के पहुंचाया जाए। इस हेतु आवश्यक कार्रवाई कर जिला स्तरीय वार रूम के माध्यम से सतत् पर्यवेक्षण एवं समीक्षा भी सुनिश्चित करें।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः एफ 9 (05)(12–II)सासुपे/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014–15/19315–316 जयपुर, दिनांकः 01.04.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. Convener, SLBC (Bank of Baroda) कृपया अपने स्तर से समस्त बैंकों के संबंधित अधिकारियों को अवगत कराकर उक्तानुसार कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय स्तर पर निर्देश जारी कर आवश्यक कार्यवाही एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराने का श्रम करें।
2. Joint Secretary, Plan (Institutional Finance) समस्त बैंकों को सूचित कर आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।
3. समस्त जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उक्त कार्यवाही की पालना सुनिश्चित करावें।

-sd-
आयुक्त